राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 798वी बैठक दिनांक 02.08.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 798वीं बैठक दिनांक 02.08.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9979/2023	8(a)	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	9893/2023	1(a)	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	9976/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
4.	9886/2023	1(a)	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
5.	9892/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9922/2023	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
7.	9399/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
8.	9394/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
9.	9977/2023	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	9991/2023	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
11.	9450/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
12.	9930/2023	1(c)	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
13.	9987/2023	1(a)	आयरन ऑर खदान	For Tor	ToR स्वीकृत
14.	9983/2023	1(a)	पत्थर खदान	For Tor	ToR स्वीकृत
15.	9985/2023	1(a)	ग्रेनाईट खदान	For Tor	ToR स्वीकृत
16.	9986/2023	1(a)	पत्थर, मुरूम एवं एम. सेण्ड खदान	For Tor	ToR स्वीकृत
17.	9984/2023	1(a)	पत्थर खदान	For Tor	ToR स्वीकृत
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा					
18.	9061/2022	1(c)	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
19.	9252/2022	8(a)	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
20.	9642/2023	1(a)	फर्शीपत्थर खदान	For Relist	Relisted and Sent to SEAC
21.	9481/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Withdraw	Closed
22.	9459/2022	1(a)	फायरोफिलाईट व डायस्पोर खदान	For Relist	Relisted and Sent to SEAC

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1. **Case No. 9979/2023:** Prior Environment Clearance for the proposed Proposed Expansion in Existing Hotel "Amber Hotel & Convention Centre" at Khasra No. - Plot No 181/2/1,181/2/2,181/2/6,283/2, Village, Nipania-Tehsil and District-Indore, (MP) Total Plot Area -15548.50 sq.m. Total built-up area 32421.93sq.m.(Existing- 5867.04 sq.m.+ Proposed- 26554.89 sq.m.) byShri Ajay Gupta, DGM (Finance), SAYAJI HOTELS LIMITED H/1, Scheme No. 54, Vijay Nagar, Indore (MP)-452001Cat. 8(a) Building Construction Projects.

   1. उक्त परियोजना खसरा नंबर – 181/2/1,181/2/2,181/2/6,283/2, गांव, निपानिया–तहसील और जिला– इंदौर (म.प्र.)में मौजूदा होटल "अंबर होटल एंड कन्वेंशन सेंटर" में विस्तार के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

   2. परियोजना का कुल क्षेत्र **15548.50 sq.m.**है एवं कुल निर्मित क्षेत्र **32421.93 sq.m** है, जिसमे मौजूदा निर्मित क्षेत्र **5867.04 sq.m** तथा प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र **26554.89 sq.m.**है।

   3. मौजूदा निर्मित क्षेत्र 5867.04 वर्ग मीटर के लिए संचालन की सहमति (consenttooperate), एमपी पीसीबी द्वारा AW–56836 के माध्यम से जारी की गई है, जो 30/09/2027 तक वैध है।

   4. परियोजना का कुल निर्मित क्षेत्र **32421.93**वर्ग मीटर है,जो 1,50,000.00 वर्ग मीटर से कम है, इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर, 2006 के अनुसार श्रेणी बी अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत विचारधीन है।

   5. प्रस्तावित परियोजना हेतु SEACकी 658वीं बैठक दिनांक 12.07.2023 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई, जिसका कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 01 से 12 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात **निर्धारण प्राधिकरण** (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय **मुद्दों पर** विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **एवं SEAC की 658वी** बैठक दिनांक 12.07.2023की अनुशंसा **को** मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित **अतिरिक्त शर्तों सहित** पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने **का निर्णय** लिया गया:–

i. स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें।

ii. परियोजना प्रस्तावक को अतिरिक्त उपचारित अपशिष्ट जल के निपटान के लिए नगर निगम की सीवर लाइन के साथ लिंकेज सुनिश्चित करें।

iii. फ्लशिंग और अन्य उद्देश्यों के लिए उपचारित बहिस्राव के पुनः उपयोग के लिए दोहरी प्लंबिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से अपनाई जाये।

iv. परियोजना से निष्क्रिय अपशिष्ट को डंपिंग साइट पर भेजा जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को नगर निगम से MSWके निष्पादन हेतु अनिवार्यरूप से अनुमति प्राप्त की जाना चाहिये।

v. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें:–

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल,मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

vi. परियोजना में 2 बेसमेंट भी प्रस्तावित है। जिन्हें बनाने के पूर्व खुदाई कार्य किया जावेगा जिससे आस – पास केअन्य संरचनाओं को क्षति पहुंच सकती है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

vii. प्रस्तावित भवन में लिफ्ट की व्यवस्था, फायर सेफ्टी हेतु अलग से किया जाना होगा एवं इस हेतु संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

viii. भवन हेतु वैद्युत ऊर्जा की कुल खपत का 20 प्रतिशत हिस्सा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत के माध्यम से प्रतिपूर्ति करना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करे।

ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण की निर्धारित दूरी के मापदण्डों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

x. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की** 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 की **कार्यवाही विवरण,अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों** को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ **उपरोक्त बिंदु i से viii को शर्तों में शामिल करते हुए परिशिष्ट–2 सहित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

(मुजीबुर्रहमान खांन)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. प्रकरण क्र. 9893/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल यादव, आत्मज श्री तरापत यादव, निवासी – वार्ड क्रमांक–10, ग्राम सिमरा, तहसील रीठी, जिला–कटनी (म0प्र0) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2,210 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.000 हे0, खसरा क्रमांक 858/19 ग्राम सिमरा, तहसील–रीठी, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 658 वी बैठक दिनांक 12.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा पंचशाला अनुसार आवेदित खसरा नम्बर पर जिला उद्योग केन्द्र से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) कटनी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01.5 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल, जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित	350
2.	ग्रामवासियो में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ,	1000

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

		कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित	
3.	ग्राम पंचायत सिमरा के प्राथमिक शाला	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित	650
		योग	2000

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम सिमरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 10 कुर्सिया प्रदान किया जाये ।
- ग्राम सिमरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से चिकित्सीय उपकरण प्रदान किये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल यादव, आत्मज श्री तरापत यादव, निवासी – वार्ड क्रमांक–10, ग्राम सिमरा, तहसील रीठी, जिला–कटनी (म0प्र0) को फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), **उत्पादन क्षमता 2,210 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.000 हे0, खसरा क्रमांक 858/19 ग्राम सिमरा, तहसील–रीठी, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। संचालनालय भोमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. का पत्र क्र. 7247/खनिज/उ.प./न.क.22/2022 दिनांक 24.05.2022 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.05.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. प्रकरण क्र. 9976/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मोतीलाल धाकड आत्मज श्री प्रभुलाल धाकड़, निवासी– वार्ड नंबर–01, बिजासन माता मंदिर सिंगोली, तहसील सिंगोली, जिला–नीमच (म0प्र0) द्वारा पत्थर एवं एम–सेंड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.000 हेक्टेयर, खसरा 1256 ग्राम फुंसरिया, तहसील – सिंगोली, जिला– नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 658 वी बैठक दिनांक 12.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

(ii) नीमच जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 42 वृक्षों में से काटे जाने वाले 31 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 310 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	पलाश, नीम, सीताफल, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सो आदि।	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल आदि	200

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	मीटर)	पूर्ण सुरक्षा सहित	
3	आस पास के पांच गाव महाराजपुरा, फुसरिया, के किसानो को पौधे वितरण किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	2600
		कुल	4800

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं ज़ीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम फुसरिया के आंगनवाडी केन्द्र में खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाये।
- ग्राम फुसरिया के शासकीय विद्यालय में छात्र व छात्राओं के लिये 02 शौचालय का निर्माण पानी की उचित व्यवस्था (ओवरहेड टेंक) के साथ की जाये एवं वाटर पम्प लगाया जाये।
- ग्राम फुसरिया के शासकीय उपस्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से आवश्यक उपकरण प्रदान किये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री मोतीलाल धाकड आत्मज श्री प्रभुलाल धाकड़, निवासी– वार्ड नंबर–01, बिजासन माता मंदिर सिंगोली, तहसील सिंगोली, जिला–नीमच (म0प्र0) को पत्थर एवं एम–सेंड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.000 हेक्टेयर, खसरा 1256 ग्राम फुंसरिया, तहसील – सिंगोली, जिला– नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) नीमच के पत्र क्र. 1437 दिनांक 14.11.2022 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

4. प्रकरण क्र. 9886/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री गजराज सिंह धाकड़, आत्मज श्री सोहनलाल सिंह धाकड़, निवासी– ग्राम सगौरिया, तहसील–कैलारस, जिला–मुरैना (म0प्र0) द्वारा मिट्टी खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,998 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.254 हेक्टेयर, खसरा 780/3/क/1, 780/3/क/2, ग्राम बहरारा, तहसील – कैलारस, जिला– मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 659 वी बैठक दिनांक 13.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 659वी बैठक दिनांक 13.07.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(ii) मुरैना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	450
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित	300

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3.	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	गुग्गल, सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	750
		योग	1500

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वियन 02 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पंचायत भवन में दो कंप्यूटर प्रिंटर सहित (01 बलेक एण्ड व्हाईट एवं 01 कलर प्रिंटर) प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री गजराज सिंह धाकड़, आत्मज श्री सोहनलाल सिंह धाकड़, निवासी– ग्राम सगौरिया, तहसील–कैलारस, जिला–मुरैना (म0प्र0) द्वारा मिट्टी खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,998 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.254 हेक्टेयर, खसरा 780/3/क/1, 780/3/क/2, ग्राम बहरारा, तहसील – कैलारस, जिला– मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला मुरैना का पत्र क्र. 96 दिनांक 25.01.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.01.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

5. प्रकरण क्र. 9892/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, राधा रानी स्टोन केशर, प्रो. श्री विजय प्रताप सिंह कुशवाह, निवासी– ज्ञान गंगा, बिल्डिंग, नदी गेट, जयेन्द्रगंज, जिला– ग्वालियर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,11,720 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा 125, ग्राम –मलखानपुरा, तहसील – मुरैना हॉल, बमोर, जिला– मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 658 वी बैठक दिनांक 12.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 798वी बैठक दिनांक 02.08.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मोजूद पेड़ो को काटा नही जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम , करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (प्रत्येक प्रजाती के 4 पौधो के बीच एक सीताफल का पौधा लगाया जायेगा)	1000
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01.50 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित	200
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1800
	कुल योग		3000

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

- ग्राम मलखानपुरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे का निर्माण कराया जाये तथा स्कूल भवन की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, राधा रानी स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री विजय प्रताप सिंह कुशवाह, निवासी– ज्ञान गंगा, बिल्डिंग, नदी गेट, जयेन्द्रगंज, जिला– ग्वालियर (म0प्र0) को पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,11,720 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा 125, ग्राम –मलखानपुरा, तहसील – मुरैना हॉल, बमोर, जिला– मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला मुरैना का पत्र क्र. 402 दिनांक 04.04.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03.04.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

6. प्रकरण क्र. 9922/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अभय कुमार जैन, निवासी– ग्राम पहाड़ी पोस्ट निवार, जिला– कटनी (म0प्र0) द्वारा डोलोमाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 41,202 टन प्रतिवर्ष ,रकबा 1.875 हेक्टेयर, खसरा नंबर–360, ग्राम बिछुआ, तहसील – मुड़वारा, जिला– कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 658 वी बैठक दिनांक 12.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें। परियोजना** प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नॉन ब्लास्टिंग एवं निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम **प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मैजूद 03 पेड़ो को काटा नही जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	375
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित	200
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	175
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत बिचुवा के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित	375
6	ग्राम पंचायत बिचुवा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित	375
		कुल	1900

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

- ग्राम बिछुआ के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 05 बेंच व 05 कुर्सीयां प्रदान की जायें।

- ग्राम बिछुआ के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के परामर्श अनुसार आवश्यक सामग्री प्रदान की जाये।

- ग्राम शाहपुर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में चारो ओर दीवार का निर्माण कराया जाये।

- ग्राम हरदुआ एवं ग्रांम पोंडी के आंगनबाड़ी केन्द्र की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये तथा शौचालय का निर्माण कराया जाये।

- ग्राम पौनिया के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 01 कम्प्यूटर मय टेबल के साथ प्रदान किया जाये।

- ग्राम खिरवा के आंगनबाडी केन्द्र में गेट का निर्माण कराया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री अभय कुमार जैन, निवासी– ग्राम पहाड़ी पोस्ट निवार, जिला– कटनी (म0प्र0) को डोलोमाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 41,202 टन प्रतिवर्ष ,रकबा 1.875 हेक्टेयर, खसरा नंबर–360 ग्राम बिछुआ, तहसील – मुड़वारा, जिला– कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) कटनी द्वारा निष्पादित **अनुबंध दिनांक 02.11.2021 अनुसार खनिपट्टा दिनांक 27.09.2019 से 26.09.2049 तक स्वीकृत है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.09.2049 तक वैध मान्य रहेगी।**

7. प्रकरण क्र. 9399/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, रीवा मिनरल्स एण्ड कम्पनी, पार्टनर श्री अखंड प्रताप सिंह, निवासी– वार्ड नंबर–26, सीडी आई बंगले के पास, पांडव नगर समान, तहसील हुजूर, जिला– रीवा (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 18,468 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.000 हेक्टेयर, खसरा 8/2/1/2, ग्राम हर्रहा, तहसील – मऊगंज जिला– रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 658 वी बैठक दिनांक 12.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त रीवा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19/12/2021 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा की ओर वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा। वन मंडलाधिकारी के निर्देशन मे वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं आबादी से न्यूनतम 100 मीटर एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। **परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 20 वृक्षों में से काटे जाने वाले 15 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 150 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं सक्षम प्राधिकृत संस्थाओं को प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	पपीता,, सीताफल, बेल, पीपल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मुनगा और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	690
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	पपीता, सीताफल, बेल, पीपल, इमली, आंवला इत्यादि।	40
3	हर्राहा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	अमलतास , कचनार, पुत्रंजीवा, और अन्य उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	20
4	गाँव हर्राहा के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, अमरूद, बेर, आंवला, आम, सीताफल, मुनगा, और अन्य फल देने वाले स्थानीय वृक्षारोपण की प्रजातियॉं।	790
5	हर्राहा गाँव में तालाब का सौन्दर्यीकरण के लिए वृक्षारोपण किया जायेगा।	पीपल, सेमल, खमेर, नीम, और इत्यादि।	110
6	वन सीमा के ओर वृक्षारोपण	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, और स्थानीय प्रजातियॉं।	900
		कुल	2550

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वियन वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम हर्राहा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 1 कंप्यूटर सिस्टमए 1 प्रिंटरए 1 कुर्सी एवं 1 टेबल उपलब्ध कराया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम हर्राहा मे 01 नया हैंडपंप स्थापित किया जाये तथा उसके चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की व्यवस्था की जाएगी।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, रीवा मिनरल्स एण्ड कम्पनी, पार्टनर श्री अखंड प्रताप सिंह, निवासी– वार्ड नंबर–26, सीडी आई बंगले के पास, पांडव नगर समान, तहसील हुजूर, जिला– रीवा (म0प्र0) को पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 18,468 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2. 00 हेक्टेयर, खसरा 8/2/1/2, ग्राम हर्रहा, तहसील – मऊगंज जिला– रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के पत्र क्र. 3091 दिनांक 07.03.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.03.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

8. प्रकरण क्र. प्रकरण क्र. 9394/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स संजीवनी स्टोन क्रेशर, प्रोपराईटर, डॉ. योगेश पंडागरे आत्मज श्री श्रवण पंडागरे, निवासी चन्द्रशेखर वार्ड, सदर बैतूल, तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 50,000 व मुरूम 11460 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 270, ग्राम बोथिया ब्राम्हणवाडा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 658 वी बैठक दिनांक 12.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मोजूद 06 पेड़ो को काटा नही जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला,खमेर, सीताफल काला सिरिस, सफेद सिरिस, आम, अमरुद, कटहल, जामुन, आदि पूर्ण सुरक्षा सहित	850
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– बबूल, चिरोल, हर्रा, करंज, सिस्सू , पुत्रंजीवा नीम, पीपल आदि।	160
3	नॉन माइनिंग जोन में	स्थानीयं पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, खमेर, सीताफल कालासिरिस, अनार, सफेदसिरिस, आम, अमरुद, कटहल, जामुन, आदि।	200
4	बोथिया ब्राम्हणवाड़ा गाँव में स्थित स्कूल में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कचनार, पीपल, नीम, चिरोल, पुत्रंजीवा, मोलश्री, कदम , सिस्सू, आदि पूर्ण सुरक्षा सहित ।	30
5	बोथिया ब्राम्हणवाड़ा गाँव में स्थित आंगनवाड़ी में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, नीम, पुत्रंजीवा, कचनार, मोलश्री, बरगद आदि पूर्ण सुरक्षा सहित	20
6	आसपास के ग्रामीणों को वितरण के लिए ग्रामीणों व पंचायत से परामर्श लेकर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	2800
		कुल	4060

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्ष में सुनिश्चितं किया जायेगा :–

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बोथिया ब्राम्हणवाड़ा में पीने के पानी की सुविधा हेतु निकटतम ग्राम पंचायत के माध्यम से हैंडपंप स्थापित किया जाये साथ ही हैंडपंप के चारो और कंक्रीटिंग करवाकर पानी के निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिचार्ज पिट की व्यवस्था की जावेगी ।
- ग्राम बोथिया ब्राम्हणवाड़ा में सरकारी स्कूल में बालक और बालिकाओ हेतु पक्के शौचालय का निर्माण किया जाये ।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स संजीवनी स्टोन क्रेशर, प्रोपराईटर, डॉ. योगेश पंडागरे आत्मज श्री श्रवण पंडागरे, निवासी चन्द्रशेखर वार्ड, सदर बैतूल, तहसील व जिला बैतूल (म.प्र.) को पत्थर व मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 50,000 व मुरूम 11460 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 270, ग्राम बोथिया ब्राम्हणवाडा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बैतूल का पत्र क्र. 796 दिनांक 19.05.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.05.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

9. प्रकरण क्र. 9977/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री भारत भूषण कोरी, आत्मज श्री रामअवतार कोरी, निवासी–2034 ईसाई मोहल्ला, पंडित बनारसीदार भनोत वार्ड, गोरखपुर, जिला– जबलपुर (म0प्र0) मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19,998 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.25 हेक्टेयर, खसरा 513, ग्राम गंगई, तहसील – शहपुरा, जिला– जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 658 वी बैठक दिनांक 12.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 की अनुशंसा को मान्य करते

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तो अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

(ii) **जबलपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मोजूद 08 पेड़ो को काटा नही जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कस्टार, खमेर, काला सिरिस, सफेदसिरिस जंगल जलेबी, चिरोल आवला, नीम, सीताफल, करंज आदि ।	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–पीपल, करंज, कदम्ब ,चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम , आदि पूर्ण सुरक्षा सहित ।	100
3	शासकीय माध्यमिक शाला गंगई के परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, नीम, कदम्ब, पीपल, करंज, बरगद, चिरोल आदि पूर्ण सुरक्षा सहित ।	80
4	ग्राम गंगई स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– करंज, पुत्रंजीवा, मोलश्री, नीम,पीपल, बरगद, चिरोल ,कदम्ब आदि पूर्ण सुरक्षा सहित ।	100
5	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, सीताफ़ल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू	3820

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

		जामुन, मुनगा आदि ।	
		कुल	5100

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम गंगई के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 01 कम्प्यूटर, 01 प्रिन्टर एवं 01 कम्प्यूटर टेबल प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री भारत भूषण कोरी, आत्मज श्री रामअवतार कोरी, निवासी–2034 ईसाई मोहल्ला, पंडित बनारसीदार भनोत वार्ड, गोरखपुर, जिला– जबलपुर (म0प्र0) मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19,998 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.25 हेक्टेयर, खसरा 513, ग्राम गंगई, तहसील – शहपुरा, जिला– जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला जबलपुर का पत्र क्र. 214 दिनांक 15.05.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

10. प्रकरण क्र. 9991/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अर्जुन राम आत्मज श्री पीराराम मुनियॉ, निवासी– 69, आशाराम बापू नगर रतलाम जिला– रतलाम (म0प्र0) मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता – 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.000 हेक्टेयर, खसरा 3/11 ग्राम नौगॉवाकलां, तहसील – रतलाम, जिला– रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 658 वी बैठक दिनांक 12.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 798वी बैठक दिनांक 02.08.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(ii) रतलाम जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी,** जनपद पंचायत के मार्गदर्शन में खनन क्षेत्र **में मौजूद कन्टूर ट्रेन्चेंस का संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कालासिरिस, सफेद सिरिस, आवला, चिरोल, खमेर, जंगल जलेबी, नीम, कस्टार, करंज, सीताफल, आदि।	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, मोलश्री, सिस्सू, पीपल, कदम्ब, करंज, पुत्रंजीवा, आदि।	100
3	ग्राम नौगॉवाकला के ग्राम पंचायत नौगवांकलां के परिसर क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, कचनार, सिस्सू, कदम्ब, खमेर, नीम, बरगद, करंज आदि।	200
3	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन, हाईब्रीड मुनगा आदि।	3500
		कुल	4800

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम नौगवांकलां के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के परामर्श से 2 बी.पी मशीन एवं 4 शुगर टेस्टिंग मशीन एवं जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु अन्य सामग्री प्रदान की जावेगी ।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री अर्जुन राम आत्मज श्री पीराराम मुनियॉं, निवासी– 69, आशाराम बापू नगर रतलाम जिला– रतलाम (म0प्र0) को मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता – 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.000 हेक्टेयर, खसरा 3/11 ग्राम नौगॉवाकलां, तहसील – रतलाम, जिला– रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रतलाम का पत्र क्र. 644 दिनांक 21.03.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.03.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

11. **प्रकरण क्र 9450/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री विरदिया धवल कुमार आत्मज रमणिक भाई, निवासी आतिथ्य पार्क, समरस होटल के सामने, जिला बडौदरा (गुजरात) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 2,99,250 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 12.00 हेक्टेयर, खसरा 10/1/1/क, ग्राम धबाईपाड़ा, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 658 वी बैठक दिनांक 12.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(ii) रतलाम जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं नदी से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	कस्टार, जंगल जलेबी, आँवला चिरौल, अगेव की स्लिप्स एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं	5800
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	शीशम, नीम, अमलतास, जामुन, करंज, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं पूर्ण सुरक्षा सहित ।	200
3	धबाईपाड़ा और सवालिया रुंडी, कालमोडा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मुनगा इत्यादि।	6000
4	गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धबाईपाड़ा एवं प्राइमरी स्कूल कालमोडा में वितरण हेतु।	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुत्रंजीवा , मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि पूर्ण सुरक्षा सहित ।	70
5	मोरवानी रेलवे स्टेशन के परिसर में	गुलमोहर, कदंब , अशोक, जट्रोफा , एवं उपलब्ध देशी फल देने वाली प्रजातियाँ पूर्ण सुरक्षा सहित ।	200

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

6	जलेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में	पीपल, कदंब, बरगद, नीम, रतनज्योति के बीज, पुत्रंजीवा , मोलश्री, एवं उपलब्ध देशी प्रजातियाँ पूर्ण सुरक्षा सहित ।	50
7	तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए	कदंब,, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	50
8	गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सवालिया रुंडी वितरण हेतु।	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	30
9	पक्का रोड (माईन साइट से गांव) के दोनों और	कस्टार, जंगल जलेबी, आँवला चिरौल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	2000
	चारागाह के विकास हेतु नीम के बीज, जंगल जलेबी, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाये जायेंगे। जिसकी लागत ई.एम.पी. में दी गई है।	
		कुल	14,400

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाये ।
- ग्राम धबाईपाड़ा प्राथमिक विद्यालय में 01 प्रिंटर , 01 कम्प्यूटर, एक टेबल, एक कुर्सी प्रदान किया जाये।
- ग्राम धबाईपाड़ा मे 01 नया हैंडपंप लगवाकर साथ ही उसके चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की का निर्माण किया जाये।
- ग्राम धबाईपाड़ा में ग्रामवासियों के लिये वर्ष में 02 बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाये एवं औषधि वितरित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक श्री विरदिया धवल कुमार आत्मज रमणिक भाई, निवासी आतिथ्य पार्क, समरस होटल के सामने, जिला बडौदरा (गुजरात) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड), उत्पादन क्षमता 2,99,250 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 12.00 हेक्टेयर, खसरा 10/1/1/क, ग्राम धबाईपाड़ा, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.)। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. का आदेश क्र. 14349–53 दिनांक 19.10.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई हैं, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.10.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

12. **Case No 9930/2023**: Prior Environment Clearance for Pangari Medium Irrigation Project Scheme is proposed on Utawali River in Pangari village in Tehsil- Khaknar of District - Burhanpur (Madhya Pradesh) to irrigate 4400 ha culturable command area, the length of dam is 1986.7 m , Dam Hight 20.60 meters by Water Resources Division Burhanpur Irrigation Colony, Shikarpura, Burhanpur M.P.

    1. यह प्रकरण मध्य प्रदेश बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील के पांगारी गांव में पांगारी मिडियम सिंचाई परियोजना में मानसून के दौरान पानी जमा करने और 4,400 हेक्टेयर (सीसीए) के कमांड क्षेत्र को सिंचित करने हेतु उतावली नदी (ताप्ती नदी की सहायक नदी) पर 20.06 मीटर ऊंचा बांध बनाने हेतु प्रस्तावित है।
    2. परियोजना का सीसीए क्षेत्र 4400 हेक्टेयर है; इसलिए 2006 की एवं यथासंशोधित 14 अगस्त 2018 के अनुसार, यह श्रेणी बी 2 परियोजना (मध्यम सिंचाई परियोजना जिसमें सीसीएझ 2000 हेक्टेयर और <10000 हेक्टेयर है) के अंतर्गत विचाराधीन है।
    3. पंगारी मध्यम सिंचाई परियोजना में 4400 हेक्टेयर तक बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील के 10 गांवों में सिंचाई जल उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित की गई है।
    4. परियोजना के किसी भी घटक में कोई वन परिवर्तन भूमि शामिल नहीं है तथा कुल डूब क्षेत्र 348. 49 हेक्टेयर है।
    5. परियोजना का जलग्रहण क्षेत्र 93.52 वर्ग किमी.है। जलग्रहण क्षेत्र में राजस्व और वन भूमि शामिल है। जलग्रहण क्षेत्र में कोई वन भूमि परिवर्तन (फारेस्ट लैंड डायवर्सन) प्रस्तावित नहीं है।
    6. प्रस्तावित परियोजना हेतु SEACकी 658वीं बैठक दिनांक 12.07.2023 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई, जिसका कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 39 से 49 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitivearea, forestarea से संबंधित समय –समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करे।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग की जाये ।

iii. बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परियोजना प्रस्तावक को पंप हाउस के उचित संचालन के लिए आवश्यक सौर पैनल स्थापित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

iv. यदि संचालन अवधि के दौरान दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

v. परियोजना प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुशंसित ई–प्रवाह को हर समय संबंधित बैराजों के तत्काल नीचे की ओर बनाए रखा जाना e-flow चाहिए। E-flow को छोड़ने के बाद शेष पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

vi. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 कीकार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तोंको राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से vi एवं परिशिष्ट–3 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

13. प्रकरण क्र. 9987/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कुँवररानी अयोध्या सिंह पत्नि स्व. श्री कुँवर जयसिंह, निवासी– फ्लैट नंबर 508, आर्किड टावर, महाराणा प्रताप नगर, जिला– ग्वालियर (म0प्र0) द्वारा आयरन ओर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,13,299 टन प्रतिवर्ष, रकबा 10.718 हेक्टेयर, खसरा 337/1/मिन–1/3, 361/1, 378 ग्राम सांताऊ, तहसील – गिर्द, जिला– ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

V. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

XI. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वियन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XV. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18—02—2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

14. प्रकरण क्र. **9983/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री ललिता पाटीदार, पत्नी श्री पवन पाटीदार निवासी– 19/51 महराणा बंगला नीमच, जिला– नीमच (म0प्र0) द्वारा पत्थर (गिट्टी) खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50,000 सह प्रतिवर्ष रकबा 4.000 हेक्टेयर, खसरा 8/1 ग्राम सुवाखेड़ा, तहसील – जावद, जिला– नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

V. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई. आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

XII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

XIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XIV. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XVI. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. प्रकरण क्र. 9985/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह, आत्मज श्री विश्वनाथ सिंह निवासी– शाहगढ जिला– सागर (म0प्र0) द्वारा ग्रेनाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,280 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.000 हेक्टेयर, खसरा 117/1, ग्राम बगरोही, तहसील – शाहगढ़, जिला– सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

V. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली .जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई. आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

XII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

XIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XIV. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XVI. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. **प्रकरण क्र. 9986/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री उदय सिंह आत्मज श्री प्रदीप सिंह, निवासी– 20 सी. वैभव नगर इंदौर जिला– इंदौर (म0प्र0) द्वारा पत्थर, मुरूम एवं एम–सेंड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष एम–सेंड– 12,002 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम– 5,677 घनमीटर प्रतिवर्ष) रकबा 2.000 हेक्टेयर, खसरा नंबर– 2450, 2451, ग्राम कम्पेल, तहसील – खुण्डैल, जिला– इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :—

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू—जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय—समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू—जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

V. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई. आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय—समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ—साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

XII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

XIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XIV. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XVI. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. 9984/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुनीता पाटीदार, पत्नि श्री चन्द्रशेखर पाटीदार, निवासी– 50–हेडगवार बस स्टैंड, जिला– नीमच (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर– 30,000 घन प्रतिवर्ष रकबा 3.888 हेक्टेयर, खसरा नंबर– 8/3, ग्राम सुवाखेड़ा, तहसील – जावद, जिला– नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 658वी बैठक दिनांक 12.07.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

V. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

XII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

XIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

XIV. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XVI. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से. एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

18. **Case No. - 9061/2022 :** Environment Clearance for Aulliya Medium Irrigation Project at Village Roshani/Aulliya, Distt. - Khandwa, (M.P.) CCA – 5000 ha The Executive Engineer, Office of the Executive Engineer, Water Resources Division, Dist. Khandwa, MP,) Env. Consl.: M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon.

प्रकरण पर 792 SEIAA बैठक दिनांक 20.06.23 में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"SEIAA की 740वीं बैठक दिनांक 30.07.2022 के निर्णयानुसार प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करते हुये बैंक गारंटी राशि रू. 268.29 लाख तथा जुर्माना राशि रू. 32.133 लाख जमा करने हेतु SEIAA पत्र क्र. 1352 दिनांक 08.08.2022 के

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

माध्यम से सूचित किया गया था, जिसके संदर्भ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, खंडवा का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किया गया है–

1. *जुर्माना राशि रू. 32.133 लाख मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड में दिनांक 11.11.22 को जमा की गई है।*
2. *बैंक गारंटी के संबंध में जल संसाधन विभाग के पास कोई बैंक खाता संचालित नहीं हैं, जिसके माध्यम से बैंक गारंटी बनवाकर प्रस्तुत की जा सके। बैंक गारंटी के स्थान पर undertaking (विभागीय अनापत्ति पत्र) मान्य करने हेतु निवेदन किया है। RemediationPlan में प्रस्तावित कम्युनिटी के कार्य हेतु विभाग सहमत है तथा प्रस्तावित राशि 2.68 करोड़ सम्बंधित विभागों को देने हेतु प्रतिबद्ध है।*
3. *MPPCB द्वारा Credible Action की कार्यवाही हेतु सभी दस्तावेजउपलब्ध करवा दिए गए है कार्यवाही मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जानी है।*

चूँकि परियोजना मध्य प्रदेश शासन की है एवं परियोजना के क्रियान्वयन से जनहित के लाभ को देखते हुएविस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार Remediation Plan में राशि 2.68 करोड की परियोजना प्रस्तावक/कार्यपालन यंत्री द्वारा हस्ताक्षरित undertaking प्रस्तुत करेंगे जिसमें उल्लेख करेंगे कि प्रस्तावित Remediation Plan का क्रियान्वयन 01 वर्ष के अंदर अनिवार्य रूप से किया जावेगा।प्राधिकरण के समक्ष अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने पर पर्यावरण स्वीकृति जारी की जावे।

उपरोक्त निर्णित कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/निर्देशों के अधीन रहेगी। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।"

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनॅलाईन दिनांक 27.07.2023 undertaking प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत undertaking पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत उक्त undertaking को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया एवं SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

19. **Case No 9252/2022:** Environment Clearance for Proposed "Sage Golden Spring" Residential Apartment located at Khasra No. - (10/1, 12, 13, 14, 15), (10/2/1, 12, 13, 14, 15), 11/1, (16/1, 18, 21), (16/2, 18, 21) 17/1/1, 17/1/2, 17/2/2, 17/3/1, 17/3/2, 28/1/1, 28/1/2, 28/2/1, 28/2/2, 29/1/1, (A) 29/1/1 (B) 29/1/2/1, 29/1/2/2, 84/1/1, (84/2/1, 85, 86/1), 84/2/2, 86/2, Village – Damkheda, PatwariHalka No. 21, Tehsil – Huzur& District – Bhopal (M.P.) Total Plot Area – 47170.00 Sq.m. (4.717 ha,), Built Up Area - 98714.54 sq.m.by M/s Vrindavan Construction, Partner, Shri Arun Agrawal S/o Late Shri R.P.Agrawal, 250, Sagar Plaza, Zone-II, M.P. Nagar, Dist. Bhopal, MP.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 791वी बैठक दिनांक 08.06.2023 में निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित है :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

........"उक्त परियोजना "Sage Golden Spring" ग्राम दामखेडा तहसील और जिला–भोपाल मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। परियोजना का कुल क्षेत्रफल 47170.00 वर्ग मीटर (4.717 हेक्टेयर) तथा निर्मित क्षेत्र 98714.54 वर्गमीटर है इसमें आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण प्रस्तावित हैं।परियोजना प्रस्तावक ने पूर्व पर्यावरण मंजूरी के बिना साइट पर निर्माण शुरू कर दिया है और इसलिए यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन होने के कारण मानक संचालन प्रक्रिया" के अंतर्गत विचाराधीन है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 603वी बैठक दिनांक 04.11.2022 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। प्रकरण का कार्यवाही विवरण पेज नंबर 18 से 40 पर अंकित है।

SEIAA द्वारा पुनः विचार करने के लिए **SEAC** को अग्रेषित किया गया।राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 647वी बैठक दिनांक 04.11.2022 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।प्रकरण का कार्यवाही विवरण पेज नंबर 42 से 60 पर अंकित है।

प्रकरण पर 795 SEIAA बैठक दिनांक 17.07.23 में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जमा किये गये दस्तावेजों के आधार पर चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा अभिप्रमाणित बेलेन्स शीट एवं आयकर रिर्टन की अद्यतन जानकारी SEIAA की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम बार SIA/MP/MIS/252180/2022 दिनांक 20.02.22 को पर्यावरण स्वीकृति हेतु पर्यावरण उल्लंघन के तहत आवेदन नहीं किया था । प्राधिकरण द्वारा परीक्षण के दौरान यह पाया गया की प्रकरण पर्यावरण उल्लंघन का है अतएव पर्यावरण उल्लंघन के तहत पर्यावरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.01.22 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक को आवेदन करने हेतु EDS जारी किया गया। इसके उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण उल्लघंन SOP के तहत आवेदन किया है। इस सम्बन्ध में **SEAC** के पास जानकारी नहीं थी अतएव अनुश्रवण के दौरान उनके द्वारा 0.5% की छूट प्रस्तावित की गई थी। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्राधिकरण द्वारा समस्त दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत यह छूट मान्य न करते हुए परियोजना पर आवेदन दिनांक तक किये गए व्यय जिसका शपथ पत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2023 को प्रेषित किया गया है को मान्य करते हुए रु 12.42 करोड़ पर 1% अर्थात रूपये 12.42 लाख का **अर्थदंड** मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अधिरोपित होगा।

SEAC अनुशंसा के आधार पर समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को रुपये 13.72 लाख (उपचारात्मक योजना के लिए कुल पूंजीगत लागत रु. 10.35 लाख + उपचारात्मक योजना के लिए कुल आवर्ती लागत रु. 3.37 लाख = रु. 13.72 लाख)की तीन साल की वैधता के साथ बैंक गारंटी जमा जमा करना होगा ।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 08/03/2018 और कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07/07/21 में क्लॉज (12a) निहित प्रावधान के अनुसार समिति ने अनुशंसा की कि अन्य वैधानिक अनुपालन और सामान्य/विशेष ईसी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी जिसे SEAC की 603 वीं बैठक दिनांक 04-11-22 में स्वीकार किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 603वी बैठक दिनांक 04.11.2023 एवं 647 वी बैठक दिनांक 04.11. 2022 में की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:--

1. परियोजना प्रस्तावकं की Remediationandaugumentationplanके प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन, मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड , क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावण एवं वन मंत्र्यालय जलवायु परिवर्तन, भोपाल अनिवार्य रूप से जमा करना होगा ।
2. पर्यावरण उल्लंघन के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी मानक प्रचलन प्रक्रिया दिनांक 07. 07.2021 के कार्यालयीन ज्ञापन के अनुसार परियोजना लागतका एक प्रतिशत की दर से रू. 12. 42 लाख का **अर्थदंड** मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरण उल्लंघन करने के कारण जमा करना होगा।
3. Remediation and augumentation plan हेतु राशि रूपये 12.42 लाख के कार्यों हेतु प्रस्तावित समस्त कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करेगा।
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के साथ पठित धारा 15 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 07/07/21 के कार्यालय ज्ञापन के खंड 11, चरण 2 के अनुसार मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गए पर्यावरण उल्लंघन हेतु credible एक्शन दायर किया जायेगा।
5. परियोजना के लिये पानी की आवश्यकता नगर निगम,के माध्यम से की जावेगी, अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जावेगा।
6. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे:-
   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल,मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

7. परियोजना हेतु पार्किंग प्रस्ताव अनुसार आरक्षित स्थानों पर व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा, इस आरक्षित पार्किंग क्षेत्र का अन्य उपयोग नही किया जावेगा।
8. परियेाजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 (यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।भवनों के चारों ओर फायर ब्रिगेड के वाहन को घूमने हेतु पर्याप्त चौड़ाई के मार्ग बनाना अनिवार्य होगा।
9. परियेाजना स्थल पर इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने हेतु पर्याप्तमात्रा में चार्जिग पांईट रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
10. प्राधिकरण एवं SEAC समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गए वचन बध्यता के उल्लंघन की दशा में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।
11. उपरोक्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं अन्य न्यायालयों के सभी निर्णयों एवं निर्देशों के अधीन रहेगी

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की** 603वी बैठक दिनांक 12.07. 2023 की **कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों** को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ **उपरोक्त बिंदु 1 से 11 को शर्तों में शामिल करते हुए परिशिष्ट–5 सहित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

परियोजना प्रस्तावक को मंजूर की गई पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही जारी की जा सकेगी।

1. **Remediation and augmentation plan के प्रस्तावित कार्यों हेतु तीन साल की वैधता के साथ राशि रू. 13.72 लाख की बैंक गारंटी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा करने के पश्चात्।**
2. **मानक प्रचलन प्रक्रिया के अनुसार परियोजना पर अधिरोपित अर्थदण्ड रू. 12.42 लाख मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरण उल्लंघन करने के कारण जमा करना होगा।**

20. **प्रकरण क्र. 9642/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती राजाबेटी आदिवासी पत्नि श्री सुनील आदिवासी निवासी–61, नीमचादोहा जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा फर्शीपत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.40 हेक्टेयर, खसरा नं. 950पी, ग्राम जखोदा, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा **794वीं** बैठक दिनांक **28.06.2023** में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 775वी बैठक दिनांक 17.03.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए कलेक्टर, जिला ग्वालियर से प्रकरण में प्राप्त शिकायत को संलग्न करते हुए संबंध में स्पष्ट अभिमत 15 दिवस में प्राप्त किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णयानुसार चाही गई जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त हैं। अतः प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर **ADS** दिनांक **31.07.2023** के माध्यम से प्रकरण में जानकारी प्रस्तुत कर **Relist** किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को **Relist** कर **SEAC** को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

21. प्रकरण क्र 9481/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज पाटीदार, निवासी 465, वार्ड नं. 07, गांधी मार्ग, बस स्टैण्ड, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25080 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.950 हेक्टेयर, खसरा 161, ग्राम पलासिया, तहसील अंजद, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

"........... प्रकरण आज दिनांक 08/04/23 को समिति के समक्ष रखा गया और प्रकरण के अवलोकन उपरांत समिति ने पाया कि सिया की 766वीं बैठक दिनांक 11/01/23 में लिए गए निर्णय अनुसार "कलेक्टर, जिला बड़वानी द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/ संचालित खदानों का स्थल निरीक्षण करवाकर वास्तविक जानकारी 15 दिवस में सीधे ही सेक को प्रेषित किया जाये" के संदर्भ में कलेक्टर, जिला बड़वानी से आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है तथा प्रकरण काफी समय से लंबित है । अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया की 770वीं बैठक दिनांक 02/02/23 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरण को डिलिस्ट किया जाये तथा जब जानकारी प्राप्त हो तो उसे पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है तथा जानकारी प्राप्त होने के उपरांत पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर **ADS** दिनांक **31.07.2023** के माध्यम से प्रकरण को **Withdraw** किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण को **Close** किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

22. प्रकरण कमांक 9459/2023 – मेसर्स प्राणवी इंटरप्राईजेज़, प्रो. श्री प्रणय कुमार सिंह, निवासी 354, तृतीय तल, लेखराज खजाना, इंदिरा नगर, लखनऊ (उ.प्र.) फायरोफिलाईट व डायस्पोर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 39330 टन प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा नं. 79/2, ग्राम ककावनी, तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 796वीं बैठक दिनांक 18.07.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 656वी बैठक दिनांक 23.06.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

".......... Following cases were appraised in various SEAC meetings wherein online query/clarification was sought from PP but even after 30 days reply/response from the PP is awaited"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर ADS दिनांक 31.07.2023 के माध्यम से प्रकरण में जानकारी प्रस्तुत कर Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. **संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।**
2. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
11. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

15. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

16. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

17. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

22. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

23. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

25. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट-2

i. A grievances redress mechanism should be devised by WRD GoMP and put in place so that aggrieved PAFs and other stakeholders may approach the Authority easily for resolution of any dispute/conflict.

ii. PP shall ensure that, land required for the proposed project is acquired and possession is taken only after payment of compensation to the land holders as per the provision of the Right to fair compensation and transparency in land acquisition Act amended from time to time.

iii. No additional land shall be used/acquired for any activity of the project without obtaining proper permission.

iv. PP to take utmost precaution for health and safety of the people working in the project as also for protecting the environment.

v. In the event of the failure of any pollution control system adopted by the project proponent, the project shall be immediately put out of operation and shall not be restarted until the desired efficiency has been achieve.

vi. A detailed scheme for rainwater harvesting shall be prepared and implemented to recharge ground water.

vii. To enhance the natural environmental quality & aesthetics of project site, plantation, as proposed in the EMP Report shall be undertaken in the proposed area. Allocated grant for this purpose shall be fully utilized separately and not to be diverted for any other purpose.

viii. Occurrence of stagnant pools/slow moving water channels during construction and operation of the project may provide breeding source for vector mosquitoes and other

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

parasites. The river should be properly channelized so that no small pools and puddles are allowed to be formed. Even after taking precaution, due to unforeseen situations, breeding of mosquito and resultant malaria or mosquito borne diseases can increase. If such a situation arises, it will be the responsibility of project authorities to take all steps i.e. residual insecticidal spray in all the project area and surrounding 3 km. Area keeping the flight range of mosquitoes in consideration. Also medical assistance to be provided to the affected people at the cost of the developer and appropriate health benefits may be initiated with the help of State Health Department.it is recommended that contractors should enforce standards, recommended by Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

ix. Regular monitoring of water quality (Surface and Ground) including heavy metals shall be undertaken in the project area and around the project area to ascertain the change, if any, in the water quality due to leaching of contaminants, if any, from the increased use of chemical fertilizers and pesticides.

x. PP should ensure the pumps and pump house building are designed in such a way that outside noise levels will not exceed the CPCB standards.

xi. As alternate source of power PP should ensure to install required solar panels to proper running of Pump house.

xii. The budgetary provisions for implementation of EMP, shall be fully utilized and not to be diverted to any other purpose. In case of revision of the project cost or due to price level change, the cost of EMP shall also update proportionately.

xiii. If marshy land create during operation period the adequate measure should be taken by PP.

xiv. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM issued vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 25 February 2021, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility and Environmental Management Plan.

xv. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F. No. 22-65/2017-IA.III dated Ist May 2018 regarding Corporate Environment Responsibility. The activities under CER shall be worked out as per the para no. (V) of the aforesaid OM and shall be restricted to the affected area around the project. The entire activities under CER shall be treated as project and shall be monitored. The monitoring report shall be submitted to the regional office as a part of half-yearly compliance report and to a District Collector.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–3

1. The fresh water supply arrangement should be met through Municipal Corporation and there should no extraction of ground water.
2. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
3. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
4. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network
5. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.
6. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.
7. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.
8. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
9. **For firefighting:-**
   a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC 2016.
   b. The occupancy permit shall be issued by Municipal Corporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
   c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises
10. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.
11. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.
12. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover aredesirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष